अति तत्काल

सं. 11012/11/2007-स्था(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-केन्द्रीय सिविल पदों की सतर्कता निकासी की स्वीकृति से संबंधित दिशा-निर्देश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवाओं, केन्द्रीय सिविल पदों के सदस्यों को सतर्कता निकासी स्वीकृत करने के दिशा-निर्देशों से संबंधित मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा/केन्द्रीय सिविल पदों से संबंधित सरकारी सेवकों की सतर्कता-निकासी स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे :

1. केन्द्रीय सिविल सेवाओं /पदों के सदस्यों की सतर्कता-निकासी स्वीकृत करने से संबंधित ये आदेश (क) पैनल में नाम शामिल करने (ख) कोई प्रतिनियुक्ति जिसके लिए सतर्कता-निकासी आवश्यक हो, (ग) संवेदनशील पदों पर नियुक्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम (आवश्यक प्रशिक्षण को छोड़कर) हेतु समनुदेशन के लिए लागू होगी । इन सभी मामलों में सतर्कता निकासी के संबंध में कोई निर्णय लेने के पूर्व मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा तथा कोई निर्णय लेने से पूर्व इस पर उनके द्वारा विचार किया जाएगा ।

2. वे परिस्थितियां जिनके अन्तर्गत सतर्कता निकासी रोकी नहीं जाएगी, निम्नानुसार होंगी : -

(क) सतर्कता निकासी किसी शिकायत के दायर किए जाने के कारण नहीं रोकी जाएगी जो संबंधित विभाग के पास पहले से ही मौजूद है, और (i) भ्रष्टाचार(ii) अज्ञात स्रोतों से आय से अधिक परिसम्पत्ति का स्वामित्व (iii) नैतिक चरित्र हीनता (iv) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के उल्लंघन के संबंध में सत्यापन योग्य आरोपों के सिद्ध होने के प्रथम-द्रष्ट्या प्रमाण मौजूद हैं, के आधार पर यह सिद्ध न हो जाए ।

(ख) सतर्कता निकासी नहीं रोकी जाएगी यदि पैरा 2 (क) में उल्लिखित प्रारंभिक जांच में पूरा होने में तीन महीने से अधिक समय लगे ।

(ग) सतर्कता निकासी तब नहीं रोकी जाएगी जब तक कि (i) अधिकारी निलंबित न किया गया हो (ii) अनुशासनिक कार्यवाही में अधिकारी के विरूप आरोप-पत्र जारी नहीं किया गया हो तथा कार्यवाही लम्बित न हो (iii) अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही चलाने के आदेश अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं कर दिए गए हों बशर्ते कि ऐसा आदेश जारी करने के तीन महीने के अन्दर आरोप-पत्र दे दिया जाता है (iv) किसी आपराधिक मामले में जांच एजेंसी द्वारा न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया हो तथा मामला लम्बित न हो (v) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने का आदेश जारी न कर दिया गया हो बशर्ते कि कार्यवाही शुरू होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर आरोप-पत्र दे दिया जाए (vi) पी.सी. एक्ट या किस अन्य आपराधिक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या अभियोजन के लिए स्वीकृति नहीं दे दी गई हो (vii) अधिकारी के खिलाफ संबंधित विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज न कर दी गई हो या मामला न दर्ज कर लिया गया हो बशर्ते कि प्राथमिकी दर्ज करने/मामला दर्ज कर लिया गया हो बशर्ते कि प्राथमिकी दर्ज करने/मामला दर्ज करने की तिथि से तीन महीने के अन्दर आरोप-पत्र दे दिया गया हो । और (viii) अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों पर किसी ट्रेप/छापे के मामले में लिप्त न हो तथा जांच लंबित न हो ।

(घ) सतर्कता-निकासी व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर प्राथमिकी के कारण रोकी नहीं जाएगी जब तक कि जांच एजेंसी द्वारा आरोप-पत्र जारी न किया गया हो बशर्ते कि प्रतिवादी को सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्देश न दिया गया हो ।

(ङ) अभियोजन की स्वीकृति के बाद भी सतर्कता निकासी नहीं रोकी जाएगी यदि जांच एजेंसी ने दो वर्षों के भीतर जांच पूरी नहीं की तथा आरोप दर्ज नहीं किए गए हों । तथापि, ऐसा सतर्कता-निकासी से अधिकारी केवल गैर-संवेदनशील पदों पर नियुक्ति तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में समय से पूर्व अपने मूल संवर्ग में वापस भेजने के लिए न कि इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1 में सूचीबद्ध किसी अन्य छूट के लिए विचारणीय होगा ।

3. उन मामलों में जहां शिकायतें संबंधित प्राधिकारी को संदर्भित की गई हों, तथा ऐसे संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा तीन महीनों के अन्दर मामला भेजने के द्वारा कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया न प्राप्त हुई हों, अनुशासनिक प्राधिकारी संबंधित अधिकारी

को उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शिकायत की एक प्रति दे सकता है यदि टिप्पणी प्रथम दृष्टया सक्षम प्राधिकारी द्वारा सन्तोषजनक पाई जाती है तो सतर्कता निकासी स्वीकृत की जा सकती है ।

4. सतर्कता निकासी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयोजन की संवेदनशीलता, आरोपों की गंभीरता तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामला दर मामला निर्णय लिया जाएगा :

(क) जहां जांच एजेंसी को आरोप में कोई प्रमाण नहीं मिला है परन्तु न्यायालय ने प्राथमिकी को बन्द करने की अनुमति नहीं दी है ; और

(ख) जहां जांच एजेंसी/जांच अधिकारी आरोपों को सिद्ध हुआ मानता है परन्तु सक्षम प्रशासनिक प्राधिकरण भिन्न मत रखता है, या विपरीत मत रखता है ।

5. एक बैच विशेष के केन्द्रीय सिविल सेवा के केन्द्रीय पदों के सदस्यों एम्पैनलमेंट के उद्देश्य के लिए सतर्कता निकासी स्वीकृत करने के मामलों पर विचार करते समय सतर्कता निकासी/स्थिति का संबंधित संवर्ग प्राधिकारी से नियमितरूप से निश्चित किया जाता रहेगा । ऐसे सभी मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणी प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि संबंधित निकाय के रिकार्ड के आधार पर अधिकारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं है ।

6. सेवा में उनकी वरिष्ठता से एक स्तर नीचे तक के अधिकारियों के लिए सतर्कता निकासी सतर्कता प्रभाग के प्रमुख के अनुमोदन से जारी की जाएगी । अपर सचिव/सचिव स्तर तक के अधिकारियों के मामलों में यह सचिव के अनुमोदन से जारी की जाएगी । संदेह की स्थिति में सचिव के आदेश प्राप्त किए जाएंगे कि इन्डेंटिंग प्राधिकारी द्वारा किस प्रयोजन से सतर्कता निकासी ली जा रही है ।

7. सामान्य रूप से सतर्कता निकासी किसी सज़ा होने बाद तीन वर्षों तक स्वीकृत नहीं की जा सकती यदि अधिकारी पर कोई मामूली शास्ति लगाई गई है । बड़ी शास्ति लगाने के मामले में सतर्कता निकासी सामान्य रूप से सज़ा के 5 वर्षों तक स्वीकृत नहीं जा सकती । इस अवधि के दौरान अधिकारी के कार्य निष्पादन पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए ।

8. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों का संबंध है ये अनुदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से जारी किए गए हैं ।

9. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को सूचनार्थ एवं अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं ।

प्रभाकरण

(पी. प्रभाकरण)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. प्रधानमंत्री कार्यालय (उनके दिनांक 24-10-2007 के आई डी सं. 600/68/13/07- ई.एस.-II के संदर्भ में) ।
2. मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
3. भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग ।
4. सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ।
5. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली-110001.

<u>प्रतिलिपि :-</u>

(i) राज्य मंत्रि पी पी के निजी सचिव ।

(ii) सचिव (कार्मिक) के प्रधान निजी सचिव ।

(iii) अपर सचिव (एस एण्ड वी) के प्रधान निजी सचिव ।

(iv) स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव ।

(v) संयुक्त सचिव (ई.) के निजी सचिव ।

(vi) संयुक्त सचिव (वी) के निजी सचिव (उनके दिनांक 31-10-07 के का.ज्ञा. सं. 104/33/2005-ए.वी.डी.-I के संदर्भ में ।)

प्रभाकरण

(पी. प्रभाकरण)
उप सचिव, भारत सरकार